

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत - उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

खाथरी देवी पत्नी सुखाराम माली

तहसीलदार सोजत

निवासी खेरा भीड़डा मथानिया सोजत
कि० मु०:- रा० वाद अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 1955, 136 एलआर. एक्ट. 1956 मु० न० 131/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
23/10/24	<p>अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।</p> <p>अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 1955, 136 एलआर. एक्ट. 1956 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जावे तथा तहसीलदार सोजत से मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक..... 13/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(M) उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>	
13/11/24	<p>कॉपी के उपर</p> <p>पत्रावली वाले इंतजार तहरीर हेतु जमाने दिनांक 13/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(Sdo) Sdo Sojat</p>	
23/11/25	<p>कॉपी के उपर</p> <p>कॉपी के ने राजस्व वाद को जोड़ने किया है। लिखित अधिवक्ता शाय उद्भव संभव पत्रावली को जोड़ने कर दिया गया है। पत्रावली केवल सुमाए होकर नंबर ले कम हो वाद वासील। तहसीलदार को सूचना दे दी।</p> <p style="text-align: right;">(M) Sdo Sojat</p>	<p>NIPRESS</p> <p>पहचान...</p>